


मु.न. 6/21 अशोक सिंदूर

25-3-26 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित।
वकील वादी ने प्रकरण में वॉल पेश किया।
अतः वादी का वाद खारिज किया
जाता है।

पत्रावली फेंसल कुमार लोक नम्बर
से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

रूपनगढ़ (अजमेर)